रिविजन याचिका क्रं. 4064/2015
प्रस्तुति दिनांक : 16.12.2015

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)
केम्प इंदौर के समक्ष

रामचन्द्र पिता कनीराम
आयु–57 वर्ष, जाति बलाई
निवासी ग्राम दिलावरा तहसील
व जिला धार (म.प्र.)

.....प्रार्थी

विरुद्ध

1. छगन पिता भेरा
   निवासी–सांवरिया नगर, धार

2. श्रीमती रेशमबाई पति मांगीलाल
   निवासी–गुमानपुरा तहसील सरदारपुर
   जिला धार

3. श्रीमती जम्मुबाई पति रमेश
   निवासी–ग्राम सगडी तहसील व जिला धार

..... प्रतिप्रार्थीगण/आवेदकगण

4. मदन पिता कनीराम
   निवासी–अर्जुन कॉलोनी, धार

5. केशरसिंह पिता कनीराम
   निवासी–संजय कॉलोनी, धार

6. श्रीमती शायरबाई पति चम्पालाल
   निवासी–राऊ, तहसील व जिला इंदौर

7. श्रीमती शांताबाई पति बाबुलाल
   निवासी–ग्राम कठोडीया तहसील व जिला धार

....प्रतिप्रार्थीगण

रिविजन याचिका अन्तर्गत धारा 50 एवं धारा 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

महोदय,

प्रार्थी की और से सादर निवेदन है कि :–

प्रार्थी यह रिविजन याचिका माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय धार जिला धार म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ–27/14–15 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2015 से असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है कि :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4064 –पीबीआर/15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–3–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार, धार के आदेश दिनांक 16–11–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– नायब तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होने से कार्यवाही स्थगित किये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि उनके समक्ष प्रकरण 2 वर्ष से भी अधिक की अवधि से प्रचलित है और आवेदक को व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण कराने हेतु अवसर एवं समय उपलब्ध था, जिसका लाभ उसके द्वारा नहीं लिया गया है, स्वत्व का निराकरण कराने हेतु कार्यवाही स्थगित करने संबंधी आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	